

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज0)।

## मनुसदन शाखा

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण			
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी मनु सदन			
2.	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	<p>(क) सहायक निदेशक (प्रशासन) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व।</p> <p>(ख) संकाय अधिकारी</p> <p>➤ मनुसदन प्रभारी एवं सहायक स्टाफ हेतु निर्धारित कार्य।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. मनुसदन स्टाफ द्वारा सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों/विविध प्रकार के कोर्सेज में समलित होने वाले अधिकारियों को शुद्ध भोजन प्रतिदिन उपलब्ध करवाना</td> <td style="width: 33%;">2. मनुसदन स्टाफ द्वारा अधिकारियों/अतिथियों को साफ सुथरा अवास निर्देशानुसार उपलब्ध करवाना</td> <td style="width: 33%;">3. मनुसदन संकाय सदस्यों द्वारा भवन एवं मैस सम्बंधित सभी प्रकार की आवश्यकता/कमियां को सम्बंधित अधिकारियों समय-समय पर मौखिक/लिखित में अवगत कराना</td> </tr> </table> <p>(ग) सहायक स्टाफ सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्थायी – 10</li> <li>स्टाफ अस्थाई – 5 – सम्पूर्ण देखरेख प्रबन्धन एवं निर्देशों की पालना करना।</li> </ol>	1. मनुसदन स्टाफ द्वारा सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों/विविध प्रकार के कोर्सेज में समलित होने वाले अधिकारियों को शुद्ध भोजन प्रतिदिन उपलब्ध करवाना	2. मनुसदन स्टाफ द्वारा अधिकारियों/अतिथियों को साफ सुथरा अवास निर्देशानुसार उपलब्ध करवाना	3. मनुसदन संकाय सदस्यों द्वारा भवन एवं मैस सम्बंधित सभी प्रकार की आवश्यकता/कमियां को सम्बंधित अधिकारियों समय-समय पर मौखिक/लिखित में अवगत कराना
1. मनुसदन स्टाफ द्वारा सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों/विविध प्रकार के कोर्सेज में समलित होने वाले अधिकारियों को शुद्ध भोजन प्रतिदिन उपलब्ध करवाना	2. मनुसदन स्टाफ द्वारा अधिकारियों/अतिथियों को साफ सुथरा अवास निर्देशानुसार उपलब्ध करवाना	3. मनुसदन संकाय सदस्यों द्वारा भवन एवं मैस सम्बंधित सभी प्रकार की आवश्यकता/कमियां को सम्बंधित अधिकारियों समय-समय पर मौखिक/लिखित में अवगत कराना			
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(प्रशासन) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।			
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	नियमानुसार मनु सदन के कार्यों निर्वहन के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समस्त कर्तव्यों का सम्पादन। इसके साथ ही मनु सदन द्वारा जारी की गई एसओपी के द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य सम्पादन किया जाता है।			
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	<p>➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आर.पी.ए., एवं समुचित माध्यम, द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन।</p> <p>➤ आउटडोर प्रशिक्षण सकांय हेतु दिनांक 24.12.2011 को बनास हॉस्टल के दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।</p> <p>➤ समय-समय पर जारी अन्य विनियम।</p>			

6.	<u>श्रेणियों का विवरण।</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● यात्री विवरण पंजिका, कैश बुक, स्टॉक पंजिका,मैस बिल, रसीद बुक,कटिंग पंजिका,स्थायी भण्डार पंजिका एवं भण्डार खाता,अस्थायी सामग्री भण्डार पंजिका,आर.एम.ए.पंजिका आदि</li> <li>● आवास बुकिंग पत्रावली</li> <li>● स्वीकृति आदेशों की पत्रावली</li> <li>● स्थायी आदेशों की पत्रावली,</li> <li>● नकारा/अनुपयोगी आदेशों की पत्रावली,</li> <li>● भौतिक सत्यापन पत्रावली,</li> <li>● वॉउचर सम्बंधित पत्रावली</li> <li>● एस.ओ.पी सम्बंधित पत्रावली</li> <li>● भवन सम्बंधित बिल गार्ड पत्रावली</li> <li>● मैस सम्बंधित बिल गार्ड पत्रावली</li> <li>● टेलिफोन सम्बंधित बिल गार्ड पत्रावली</li> </ul>
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (प्रशासन), फोन नं0 0141-2301878 पीबीएक्स नं0 -504.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आंवटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की बेवसाईट पर उपलब्ध।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।